रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252986
CG-DL-E-14032024-252986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1209] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1209] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1271(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) दिव्यांग छात्रों को आगे और अध्ययन के लिए सहायता करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित छह घटकों के साथ दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) हेतु केंद्रीय क्षेत्रक व्यापक स्कीम चला रहा है ताकि वे स्वयं को आजीविका अर्जित करने के लिए तैयार कर सके और समाज में अपने लिए एक गरिमापूर्ण स्थान पा सके क्योंकि उन्हें अध्ययन करने और गरिमा के साथ जीने में शारीरिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है : –

क्र.सं.	स्कीम का घटक	कार्यान्वयन एजेंसी
1	दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी)
2	दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	
3	दिव्यांग छात्रों की उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	
4	दिव्यांग छात्रों के लिए नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी)
5	दिव्यांगजनों के लिए नेशनल फैलोशिप	केनरा बैंक पोर्टल
6	दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग	(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा कार्यान्वित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की नि:शुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान। (ii) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केन्द्र।

और इन स्कीमों के अधीन, नकद लाभ अर्थात् छात्रवृत्ति रकम, पुस्तक और तदर्थ अनुदान, दिव्यांगता-विशिष्ट भत्ते जैसे रीडर भत्ता, परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, रखरखाव भत्ता, विशेष भत्ता, फैलोशिप रकम, आकस्मिक अनुदान, मकान किराया भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ता, उपस्कर भत्ता, ट्यूशन फीस, हवाई मार्ग की लागत, पोल टेक्स, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, स्थानीय यात्रा, वृत्तिका, कोचिंग शुल्क (जो भी उक्त छात्रवृत्ति स्कीमों के मानदंडों के अनुसार लागू हैं) (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को प्रदान किए जाते हैं ;

और इस स्कीम में आवर्ती व्यय शामिल हैं, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है;

और इस विभाग ने पूर्व में तारीख 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 17-22 (2)/2016-छात्रवृत्ति के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए आधार को एक पहचान पत्र के रूप में अधिसूचित किया है ;

अत: अब, तारीख 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ 728 (अ) (फा. सं. 17-22(2)/2016-छात्रवृत्ति) के अधिक्रमण में और आधार (वित्तीय और सहदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है: अर्थात् :-

1. (क) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु कि जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखितदस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या) पैन (कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर मान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु, कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब फिंगर प्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, निर्बाध तरीके से लाभ

प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि फिंगर प्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर लाभ दिए जा सकते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी -26011/04/2017-डीबीटी में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1271(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India, is administering Central Sector Umbrella Scheme for Scholarships for Students with Disabilities with the following six components (hereinafter referred to as the Schemes) to provide financial assistance to the students with disabilities to support them study further in order to prepare themselves to earn their livelihood and to find a dignified place for themselves in the society as they face several barriers physical, financial, psychological, mental in pursuing studies and living with dignity, which is being implemented through the following Implementing Agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agency(ies)):-

Sl.No	Component of the Scheme	Implement Agency(ies)
1	Pre-Matric Scholarship for Students with Disabilities	National Scholarship Portal (NSP)
2	Post-matric Scholarship for Students with Disabilities	
3	Scholarship for Top Class Education for Students with Disabilities	
4	National Overseas Scholarship for Students with Disabilities	Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)

5	National Fellowship for Persons with Disabilities	Canara Bank Portal
6	Free Coaching for Students with Disabilities	(i) Empanelled Central University/Institutes under Free Coaching Scheme of Department of Social Justice and Empowerment implemented by Dr. Ambedkar Foundation (DAF) under M/o Social Justice and Empowerment. (ii) National Institutes / Composite Regional Centers under the administrative control of Department.

And whereas, under the Schemes, cash benefits namely scholarship amount, Book and Ad-hoc Grant, disability-specific allowances like Reader allowance, Transport allowance, Escort allowance, Maintenance allowance, Special allowance, Fellowship amount, Contingency grant, House Rent allowance, Incidental Journey allowance, Equipment allowance, Tuition Fees, Cost of Air Passage, Poll Tax, Visa Fees, Medical Insurance Premium, Local travel, Stipend, Coaching Fee (whichever are applicable as per norms of the said scholarship Schemes) (hereinafter referred to as benefits) is given to the Students with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department had earlier notified Aadhar as an identity document for Scholarship Schemes for Students with Disabilities vide Notification No. 17-22(2)/2016-Sch. dated 3rd March, 2017;

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O. 728 (E) dated 3rd March, 2017 [F. No. 17-22(2)/2016-Sch.] and in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies, the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming a Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.14 16:43:46 +05'30'